मुख्य अभियंता का कार्यालय केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग

निरूपण भवन, डोरण्डा, राँची– 834002.

ई–मेल– **cercdcdo@rediffmail.com / cecdorcd@gmail.com**

पत्रांक :– के०नि०सं०–10–विविध–04 / 2015–200राँची, दिनांक–10.02.2023

प्रेस विज्ञप्ति

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्रणाधीन झारखण्ड अभियंत्रण सेवा संवर्ग (असैनिक एवं यांत्रिक) का निरूपण एवं प्राक्कलन का लिखित परीक्षा दिनांक 19.03.2023 एवं लेखा परीक्षा 2023 (मौखिक) दिनांक 20.03.2023 से 21.03.2023 तक होगी।

(2) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पदाधिकारी अपना आवेदन पत्र / प्रवेश पत्र विहित प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाओं एवं अद्यतन पासपोर्ट आकार के दो स्वअभिप्रमाणित फोटोग्राफ के साथ दिनांक 03.03.2023 तक की अवधि में अनिवार्य रूप से मुख्य अभियंता का कार्यालय, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, निरूपण भवन, दूसरा तल्ला कमरा नं०– 313, डोरण्डा, राँची– 834002 में समर्पित करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन का विहित प्रपत्र, परीक्षा कार्यक्रम एवं प्रवेश–पत्र का प्रारूप हेतु आवेदक मुख्य अभियंता का कार्यालय, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, निरूपण भवन, डोरण्डा, दूसरा तल्ला, कमरा संख्या–313, पिन कोड–834002 के सूचना पट से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

(3) वैसे सहायक अभियंता जो काम चलाऊ व्यवस्था के तहत प्रभारी सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत हैं या पदस्थापित हैं, परन्तु मूल रूप में वे कनीय अभियंता हैं और झारखण्ड अभियंत्रण सेवा सम्वर्ग की कोटि में नहीं आते हैं, वे इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगें। प्रवेश पत्र संलग्न प्रपत्र में आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य है।

(4) परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यार्थी अपना प्रवेश–पत्र दिनांक 16.03.2023 को 03 बजे अपराह्न से 06 बजे अपराह्न तक मुख्य अभियंता का कार्यालय, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, निरूपण भवन, दूसरा तल्ला, कमरा नं०– 313, डोरण्डा, राँची– 834002 के कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।

(5) परीक्षा के लिए अपने साथ औजार बॉक्स सेट, पेंसिल, रबर, स्केल इत्यादि अपने साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा केन्द्र में मोबाईल फोन इत्यादि लेकर आना मना है, मोबाईल फोन पाए जाने पर व्यवसायिक परीक्षा से निष्काषित कर दिया जाएगा।

नोटः– प्रभारी सहायक अभियंता इस परीक्षा के पात्र नहीं होंगें।

1. झारखण्ड PWD कोड की कंडिका 55 एवं भाग– 2 में निहित प्रावधानों एवं अनुदेशों के आलोक में अपने नियंत्री पदाधिकारी यथा कार्यपालक अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता तथा प्रमंडलीय लेखापाल से क्रमशः कार्यरत प्रमाण–पत्र तथा लेखा प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य है।
2. अधूरा एवं गलत भरा हुआ आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. आवेदन–पत्र बिना अद्यतन पासपोर्ट आकार के स्व–अभिप्रमाणित फोटो (दो प्रतियों में) के स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ह०/–

(कृष्ण कुमार लाल)

अध्यक्ष–व्यवसायिक परीक्षा समिति–सह–मुख्य अभियंता,

केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

PR 290382 Road(22-23)D